रिपोर्ट करने योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 2023 का 1347 - 1349
(@ एसएलपी (सी) संख्या 11842 – 11844/2022)

हरियाणा राज्य और अन्य .....अपीलकर्तागण

बनाम

निरंजन सिंह व अन्य आदि …प्रतिवादीगण

के साथ

सिविल अपील संख्या 2023 का 1351
(@ एसएलपी (सी) संख्या 3980/2023)
(@ डी. संख्या 37052/2022)

निर्णय

एम. आर. शाह, जे.

1. सीडब्ल्यूपी संख्या 16346/2013, सीडब्ल्यूपी संख्या 6729/2013 और सीडब्ल्यूपी संख्या 10452/2014 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आम निर्णय और आदेश दिनांक 09.04.2021 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा , उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और मूल रिट याचिकाकर्ताओं - मूल भू-स्वामियों की उनकी संबंधित अधिग्रहीत भूमि (जमीनों) को छोड़ने/मुक्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने की राज्य की कार्रवाई को रद्द कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप, निर्देश दिया है अधिग्रहण से उनकी अधिग्रहीत भूमि(यों) को मुक्त किया जाये, हरियाणा राज्य और अन्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।रिट याचिका सीडब्ल्यूपी संख्या

10452/2014 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अधिग्रहण के लाभार्थियों ने डायरी संख्या 37052/2022 से उत्पन्न वर्तमान अपील को भी प्राथमिकता दी है।

1.1 प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एसएलपी (सी) संख्या 11842/2022 से उत्पन्न होने वाली सिविल अपील संख्या 1347/2023 का संबंध है, यह सीडब्ल्यूपी सं. 6729/2013 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है। एसएलपी (सी) संख्या 11843/2022 से उत्पन्न होने वाली सिविल अपील संख्या 1348/2023 का संबंध है, यह सीडब्ल्यूपी संख्या 16346/2013 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ है और एसएलपी (सी) संख्या 11844/2022 से उत्पन्न होने वाली सिविल अपील संख्या 1349/2023 का संबंध है, यह सीडब्ल्यूपी संख्या 10452/2014 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ है।

2. सुविधा के लिए, सीडब्ल्यूपी संख्या 16346/2013 के तथ्यों पर विचार किया जाता है जिसे उच्च न्यायालय ने भी एक प्रमुख मामला माना था।

सिविल अपील संख्या 1348/2023 में सीडब्ल्यूपी संख्या 16346/2013 से उत्पन्न तथ्य

2.1 यह कि हरियाणा राज्य ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के तहत दिनांक 21.04.1987 को एक अधिसूचना जारी की, जिसका उद्देश्य आवासीय और वाणिज्यिक सेक्टर 11, कुरुक्षेत्र के रूप में भूमि के विकास और उपयोग के लिए 35.76 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना था और इसके बाद अधिनियम की धारा 6 के तहत दिनांक 20.04.1988 को घोषणा/अधिसूचना जारी की गई।सभी संबंधित भूमि मालिकों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं।इसके बाद, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा 12.04.1990 को केवल 34.61 एकड़ भूमि के लिए अधिनिर्णय दिया गया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने अधिनियम की धारा 4 के तहत सेक्टर 6 और 11, कुरुक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उद्देश्यों के लिए 126.30 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 11 फरवरी, 2002 को एक और अधिसूचना जारी की थी।ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले ही 43 भूमि धारकों की 81.91 एकड़ भूमि जारी/मुक्त की जा चुकी थी, जिस पर नीचे विचार किया जाएगा।यह कि उसके बाद, सीडब्ल्यूपी संख्या 16346/2013 के मूल रिट याचिकाकर्ताओं को छोड़कर, विभिन्न भूमि धारकों की शेष भूमि या तो राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण से या विभिन्न रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (ओं) के अनुसरण में जारी/मुक्त की गई, जिसका क्षेत्रफल 40.80 एकड़ है।

दिनांक 21.04.1987 की अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित भूमि के संबंध में सारणीबद्ध रूप में जारी/मुक्त की गई भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम संख्या	एल. ए. अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि का अधिग्रहण विवरण	एकड़ में क्षेत्रफल
1	धारा 4, 21.4.1987	46.49
2	धारा 5-क के अंतर्गत भूमि जिसको शामिल नहीं किया गया है	10.83
3	धारा 6, 20.4.1988	35.66
4	धारा 6 व अधिनिर्णय के बीच जारी/मुक्त की गयी भूमि	1.05
5	अधिनिर्णय 12.04.1990	34.61
6	अधिनिर्णय के बाद जारी/ मुक्त की गयी भूमि	26.83
7	शेष भूमि क्षेत्र [5-(6 + 7)]	7.78
8	धारा 24 (2) के तहत लंबित सीडब्ल्यूपी	4.056
9	धारा 24 (2) के तहत के अलावा लंबित सीडब्ल्यूपी	1.125
10	सीडब्ल्यूपी खारिज/अधिग्रहण बरकरार	NA
11	सीडब्ल्यूपी को अनुमति/अधिग्रहण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया, जहां एसएलपी दायर की जानी है या अभी दायर की जानी है ।	0.50

2.2 उसके बाद, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने सीडब्ल्यूपी संख्या 371/2008 दायर करके अधिग्रहण को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे भूमि मालिकों को अपनी शिकायत के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करके दिनांक 11.01.2008 के आदेश द्वारा, वापस ले लिए जाने के परिमाणस्वरूप, खारिज कर दिया गया।जिसके परिणामस्वरूप, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 22.01.2008 को एक अभ्यावेदन दायर किया जिसमें उनकी अधिग्रहीत भूमि को समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ समता पर जारी/मुक्त करने की प्रार्थना की गई, जिनकी भूमि राज्य द्वारा जारी/मुक्त की गई थी।उसके बाद, दूसरे दौर की मुकदमेबाजी के बाद, अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया और मूल भू-स्वामियों की उनकी अपनी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया।उच्च न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूपी संख्या 16346/2013 का विषय भी यही था।

2.3 अब, जहां तक सीडब्ल्यूपी संख्या 6729/2013 से उत्पन्न सिविल अपील का संबंध है, मूल भूमि मालिकों द्वारा अपनी अधिग्रहित भूमि को जारी/ मुक्त करने के लिए दायर अभ्यावेदन को दिनांक 15.06.2012 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जो सीडब्ल्यूपी संख्या 6729/2013 का विषय था।

2.4 इसी प्रकार, मूल रिट याचिकाकर्ता - अनीता कुमारी शर्मा ने उच्च न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूपी संख्या 10452/2014 दायर की जिसमें भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की उनकी प्रार्थना को खारिज कर दिया गया।

2.5 आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को मंजूर कर लिया है और सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों/अधिसूचनाओं को और रिट याचिकाकर्ताओं-मूल भूमि मालिकों द्वारा अपनी-अपनी अधिग्रहित भूमि (ओं) को जारी/मुक्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने में राज्य सरकार की कार्रवाई को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि समान रूप से स्थित भूमि मालिकों की भूमि का बड़ा हिस्सा पहले से ही जारी/मुक्त था।नतीजतन, उच्च न्यायालय ने मूल भूमि मालिकों की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का निर्देश दिया है।

2.6 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए हरियाणा राज्य और अन्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. ए. जी. श्री आलोक सांगवान ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार प्रश्नगत भूमि की राज्य को आवश्यकता है और इसलिए, उच्च न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का निर्देश देने में वस्तुतः गलती की है।

3. 1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. ए. जी. श्री सांगवान द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि एक बार अधिनियम के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था और उसके बाद, अधिनिर्णय पारित किया गया था और यहां तक कि मुआवजा भी दे दिया गया था और कब्जा ले लिया गया और भूमि वास्तव में राज्य सरकार/अधिग्रहण निकाय में निहित हो गई।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय ने अधिग्रहित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का निर्देश देने में वस्तुतः गलती की है.

3.2 विद्वान ए. ए. जी. द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है कि विभिन्न रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (ओं) के अनुसरण में राज्य द्वारा अन्य भूमि जारी/ मुक्त की गई थी।

3.3 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एएजी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जहां तक सीडब्ल्यूपी संख्या 10452/2014 के संबंध में अधिग्रहित भूमि का संबंध है, विचाराधीन भूमि पहले से ही काम में लायी जा चुकी है और उसका सीवेज लाइन के लिए उपयोग किया जा चुका है और रु.17 करोड़ सीवेज लाइन के निर्माण में खर्च किए गए हैं और यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भूमि जारी/ मुक्त की जाती है, तो यह जनहित के खिलाफ होगा और पूरी सीवेज लाइन, जो रुपये 17 करोड़ खर्च करके बनाई गई है, को हटाया जाना होगा। स्थानीय निवासियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल ने भी जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि यदि विचाराधीन भूमि को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अधिग्रहण से मुक्त किया जाता है तो उस मामले में पहले से निर्मित सीवेज लाइन को हटाना होगा जो कि जनहित के विरुद्ध होगा और मोहल्ले के निवासियों के हित के भी विरुद्ध हो।

3.4 आगे यह निवेदन किया जाता है कि जहां तक सीडब्ल्यूपी संख्या 6729/2013 के संबंध में भूमि का संबंध है, सड़क को चौड़ा करने के लिए राज्य द्वारा इसकी आवश्यकता है और इसलिए, राज्य द्वारा भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने से इनकार करना उचित था।

3.5 अब, जहां तक सीडब्ल्यूपी संख्या 16346/2013 के संबंध में भूमि का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि शॉपिंग मॉल और पार्किंग के निर्माण के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है और इसलिए, मूल भूमि के मालिकों की अपनी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की प्रार्थना को प्राधिकरण द्वारा सही रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

3.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, विद्वान एएजी द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ताओं-भूमि मालिकों की उनकी अपनी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने वाले राज्य/प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने और उन्हें अपास्त करने में वस्तुतः गलती की है और उच्च न्यायालय ने प्रश्नगत अधिग्रहित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का निदेश देने में वस्तुतः गलती की है।

4. सीडब्ल्यूपी संख्या 16346/2013 से उत्पन्न होने वाली सिविल अपील का विरोध करते हुए, श्री नीरज कुमार जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने अधिसूचना से उत्पन्न होने वाली भूमि का बड़ा हिस्सा जारी/मुक्त कर दिया है और केवल, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की भूमि का छोटा हिस्सा जारी/मुक्त नहीं किया गया है।वह हमें नक्शे पर ले गए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों के विवादित भूखंड/भूमि को छोड़कर, अन्य सभी प्रमुख भूखंड अधिग्रहण से मुक्त कर दिए गए हैं।उन्होंने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि कुल भूमि में से लगभग 46.49 एकड़ जिसके लिए धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, 10.83 एकड़ भूमि को धारा 5 ए के तहत जांच के चरण में बाहर रखा गया था।अधिनिर्णय केवल 34.61 एकड़ भूमि के संबंध में घोषित किया गया और उसके बाद, 26.83 एकड़ भूमि अधिनिर्णय पारित होने के बाद जारी/मुक्त की गई और 7.78 एकड़ भूमि अधिग्रहण के अधीन ही रही, जिसमें से आगे 4.056 एकड़ और 1.125 एकड़ भूमि के संबंध में दो रिट याचिकाएं लंबित हैं और यह प्रस्तुत किया गया है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के केवल छोटे भूखंड जारी/मुक्त नहीं किए गए हैं, जो कि उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही देखा और माना जा चुका है कि यह भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

4.1 श्री नीरज कुमार जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, ने आगे कहा कि एक विपिन जिंदल, जिसकी भूमि उसी अधिसूचना के तहत घोषित की गई थी, ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी) संख्या 3780/2008 दायर की, जिसमें अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी और जो अधिग्रहण से भूमि(ओं) की रिहाई/मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करती है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक

13.03.2008 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह निवेदन किया जाता है कि उक्त विपिन जिंदल ने इस न्यायालय के समक्ष दीवानी अपील दायर की थी और इस न्यायालय ने भू-स्वामियों को भूमि अधिग्रहण से मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन दाखिल करने की अनुमति देकर उक्त दीवानी अपील का निस्तारण किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि राज्य सरकार की ओर से कुछ असंगत रुख अपनाया गया है और यदि, समान रूप से स्थित व्यक्तियों को राहत दी गई है, तो उसमें अपीलार्थी को समान राहत दी जानी चाहिए.यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसके बाद उक्त विपिन जिंदल से संबंधित भूमि को इस शर्त पर दिनांक 02.08.2016 के आदेश द्वारा जारी/मुक्त किया गया है कि वह उसके द्वारा प्राप्त मुआवजे की राशि ब्याज सहित विभाग को लौटा देगा और वह सड़क संरेखण हुडा में आने वाली भूमि को वापस कर देगा।

4.2 श्री नीरज कुमार जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 5732/1988 में पारित निर्णय और आदेश तक भी ले गए हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण को रद्द कर दिया है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज कुमार जैन हमें सीडब्ल्यूपी संख्या 11377/1988 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस निर्णय और आदेश तक भी ले गए हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अधिग्रहण को रद्द कर दिया कि राज्य सरकार हरियाणा विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के कुछ क्षेत्र और राधा स्वामी सत्संग, कुरुक्षेत्र से संबंधित एक अन्य भाग के अधिग्रहण से पीछे हट गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिग्रहण जारी रखने का राज्य सरकार का निर्णय मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।श्री नीरज कुमार जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं की भूमि के छोटे हिस्से/खंड को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख भूमि/भूखंड जारी कर दिए गए हैं और प्रश्नगत भूमि की अब कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए, मूल भूमि मालिकों की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त न करने का कोई वैध कारण नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुमति देने और राज्य को उनकी भूमि को अनुरूपता पर अधिग्रहण से मुक्त करने का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की है।

4.3 श्री सचिन जैन, सीडब्ल्यूपी नं.10452/2014 से उत्पन्न एसएलपी (सी) नं.11844/2022 में मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता, हालांकि इस पर कोई विवाद नहीं है कि मूल रिट याचिकाकर्ता से संबंधित भूमि का पहले से ही उपयोग किया जा चुका है और सीवेज लाइन के लिए

उपयोग किया जा रहा है, ने प्रस्तुत किया कि पाइप बिछाने के लिए पहले से ही उपयोग की जा रही भूमि को काटने के बाद शेष भूमि को जारी किया जाना चाहिए।

4.4 सीडब्ल्यूपी नं.6729/2013 से उत्पन्न एसएलपी (सी) नं.11842/2022 में मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने श्री नीरज कुमार जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को स्वीकार किया है।

5. श्री आलोक सांगवान, विद्वान एएजी, राज्य की ओर से पेश हुए और श्री नीरज कुमार जैन, सीडब्ल्यूपी नं.16346/2013 से उत्पन्न सिविल अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए को सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर सामग्री को देखने के बाद और जिस तरह से राज्य ने अधिग्रहण की कार्यवाही को निपटाया है और समय-समय पर अधिग्रहित भूमि को मुक्त करना किया है और उसके बाद बहुत निंदनीय है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए भूमि जारी की गई थी और उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुसार, जिन्हें राज्य द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी, यह अधिग्रहित भूमि को जारी करने में राज्य द्वारा मनमाने ढंग से शक्तियों का प्रयोग करने को दर्शाता है, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।प्रारंभ में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में उपयोग और विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और वह भी शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा, तो भविष्य की आवश्यकता पर विचार करने की आवश्यकता होती है और भविष्य में विस्तार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और/या ध्यान में रखा जाना चाहिए।अगले 20-25 वर्षों में भविष्य में विस्तार को ध्यान में रखना आवश्यक है और/या जब क्षेत्र/नए क्षेत्रों के विकास के लिए इतनी बड़ी भूमि के उपयोग की आवश्यकता होती है तो इस पर विचार किया जाना आवश्यक है।

5.1 वर्तमान मामले में, यह विवाद का विषय नहीं है कि 21.04.1987 तक को 46.49 एकड़ के बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया था।हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हूडा) द्वारा सेक्टर-11, कुरुक्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में भूमि के विकास और उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। धारा 4 के तहत अधिग्रहित की गई 46.49 एकड़ भूमि में से 10.83 एकड़ भूमि को धारा 5 ए के तहत अधिसूचना के चरण में अधिग्रहण से बाहर रखा गया। शेष 35.66 एकड़ भूमि में से 1.05 एकड़ भूमि धारा 6 की अधिसूचना और अधिनिर्णय के बीच जारी की गई।इसके बाद शेष 34.61 एकड़ भूमि में से 26.83 एकड़

भूमि दिनांक 12.04.1990 के अधिनिर्णय के बाद जारी की गई।इसलिए, शेष भूमि केवल 7.78 एकड़ की सीमा तक रह गई, जिसमें से वर्तमान में भी लगभग 6 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है जो मुकदमेबाजी के अधीन है।इसलिए, सीडब्ल्यूपी नं. 16346/2013 के मूल रिट याचिकाकर्ताओं के संबंध में भूमि केवल भूमि का छोटा भूखंड है जो शेष रह गया है।यदि अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए मानचित्र पर विचार किया जाता है, तो भूमि के वर्तमान छोटे हिस्से/भूखंड को छोड़कर, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, अन्य सभी बड़े हिस्से को या तो राज्य द्वारा स्वयं और/या उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (ओं) के अनुसरण में जारी किया गया है, जिसे राज्य द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के उच्च न्यायालय के निर्णय से खुश था। इस न्यायालय द्वारा उसी अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित भूमि के संबंध में सिविल अपील संख्या 3235 और 3237/2015 में पारित पहले के आदेश में, यह प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने मुआवजे की वापसी पर राज्य सरकार द्वारा भूमि की मुक्ति पर ध्यान दिया। इस न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि कई भूमि मालिकों ने जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी, ने अधिसूचना को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था और उसके बाद, मुआवजे के रिफंड के बाद भूमि को जारी करने का आदेश देकर रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अभ्यावेदनों का जवाब दिया गया था।इसलिए, इस न्यायालय ने विपिन जिंदल (सुपरा) के मामले में भी कथित भूमि मालिक को यह कहते हुए एक अभ्यावेदन दायर करने की निर्वासित किया/अनुमति दी कि सरकार की ओर से कुछ असंगत रुख अपनाया गया है।इसके बाद, विपिन जिंदल के प्रतिनिधित्व पर अनुकूल विचार किया गया और उनकी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया।

5.2 यहां तक कि सीडब्ल्यूपी संख्या 11377/1988 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कथित रिट याचिका की अनुमति दी और कथित अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित कुछ भूमि के संबंध में अधिग्रहण को रद्द कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने जो मूल्यांकन किया है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना के बाद, सरकार ने कुछ क्षेत्र जो हरियाणा विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष और राधा स्वामी सत्संग, कुरुक्षेत्र से संबंधित एक अन्य भाग से अधिग्रहण वापस ले लिया।

5.3 इस प्रकार, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि पहले सीडब्ल्यूपी नं.16346/2013 के रिट याचिकाकर्ताओं से संबंधित भूमि को छोड़कर, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की भूमि के छोटे पार्सल/भूखंड को छोड़कर अन्य सभी भूमि मुक्त की गयी थी की गई थी।अब भूमि को ना मुक्त करना इस आधार पर उचित ठहराने की कोशिश

की जा रही है कि अब इसका उपयोग शॉपिंग मॉल और पार्किंग के रूप में करने का प्रस्ताव है।यह ध्यान देने योग्य है कि प्रश्नगत भूमि कुल 46.49 एकड़ भूमि के साथ वर्ष 1987 में अधिग्रहित की गई थी, जिसमें से, वर्तमान छोटे पार्सल/भूमि के हिस्से को छोड़कर, अन्य सभी भूमि जारी कर दी गई है और/या इसके संबंध में अधिग्रहण को रद्द कर दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जब उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी है, सीडब्ल्यूपी संख्या 16346/2013 और अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया है और प्रश्नगत भूमि को जारी करने का निर्देश दिया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और/या खंड पीठ ने कोई त्रुटि की है जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप का कारण बनी है।इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।हालांकि, दोहराव की कीमत पर, हम उस तरीके की निंदा करते हैं जिसमें राज्य ने अधिग्रहण की कार्यवाही को निपटाया है और भूमि (ओं) को जारी किया है और/या अधिग्रहण को मनमाने ढंग से रद्द करने की अनुमति दी है।इस तरह की भूमि का अधिग्रहण आवासीय और वाणिज्यिक विकास उद्देश्यों के लिए किया गया था, जिसका उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों और क्षेत्र/क्षेत्र के विकास के लिए नहीं किया जा सकता था और राज्य सरकार मनमाने ढंग से और/या पक्षपात से भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए करने में विफल रही है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था।राज्य सरकार जनता और जनता के हित की संरक्षक है और प्रभावशाली व्यक्तियों के पक्ष में प्रारंभिक चरण में भूमि जारी करने के बजाय जनता के हित को सर्वोपरि माना जाना आवश्यक था। राज्य भविष्य में इस बात का ध्यान रखेगा और अधिग्रहित की गई भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करेगा जिसके लिए वह अधिग्रहित की गई है अन्यथा भूमि अधिग्रहित करने का उद्देश्य और प्रयोजन विफल हो जाएगा।

5.4 अब, जहां तक सीडब्ल्यूपी संख्या 10452/2014 से उत्पन्न सिविल अपील का संबंध है, शुरुआत में यह नोट करना आवश्यक है कि प्रश्नगत भूमि का पहले से ही सीवेज लाइनों के लिए उपयोग और इस्तेमाल किया जा रहा है और सीवेज लाइनों के निर्माण में लगभग 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।इसलिए, उच्च न्यायालय ने उक्त भूमि के संबंध में अधिग्रहण को रद्द करने और निरस्त करने में बहुत गंभीर गलती की है, जो पहले से ही सार्वजनिक उद्देश्य के लिए और इलाके के निवासियों के लिए उपयोग की जा रही सीवेज लाइनों के लिए उपयोग में लाई जा रही है।यदि उस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश लागू होता है, तो पूरी सीवेज लाइनों को हटाना होगा जो 17 करोड़ रुपये खर्च करके बनाई गई हैं और जिसका उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत

किया गया है कि पहले से ही सीवेज लाइनों के लिए उपयोग की जा रही भूमि को छोड़कर मुक्त की गई शेष भूमि को मंजूर नहीं किया जा सकता है। आंशिक भूमि जारी नहीं की जा सकती और/या आंशिक भूमि के संबंध में, अधिग्रहण को रद्द नहीं किया जा सकता है।यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामले में भूमि अधिग्रहण, अधिनिर्णय पारित करने और मुआवजे के भुगतान सहित अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है और प्रश्नगत भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित है।इन परिस्थितियों में, सीडब्ल्यूपी संख्या 10452/2014 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे खारीज और रद्द किया जाना चाहिए।

5.5 इसी प्रकार, जहां तक सीडब्ल्यूपी सं. 6729/2013 से उद्भूत सिविल अपील का संबंध है, भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के लिए मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए भूमि की आवश्यकता है।नक्शे को देखने के बाद, हमारी राय है कि जब राज्य द्वारा सड़क को चौड़ा करने के लिए प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता होती है और जब अधिनिर्णय की घोषणा, अधिनिर्णय पारित करने और मुआवजे के भुगतान सहित पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उक्त भूमि के संबंध में अधिग्रहण को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था और/या उसी भूमि को जारी करने/मुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। राज्य द्वारा उक्त भूमि, जो सड़क को चौड़ा करने के लिए आवश्यक है, को जारी नहीं करने के लिए पूरी तरह से उचित था।इन परिस्थितियों में, सीडब्ल्यूपी संख्या 6729/2013 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करने और खारीज करने योग्य है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त कारणों से, सीडब्ल्यूपी संख्या 16346/2013 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से उत्पन्न एसएलपी (सी) संख्या 11843/2022 से उत्पन्न सिविल अपील को उपरोक्त टिप्पणियों के साथ खारिज किया जाता है।

7. उपर्युक्त कारणों से, एसएलपी (सी) संख्या 11844/2022 (सीडब्ल्यूपी संख्या 10452/2014 से उत्पन्न) और एसएलपी (सी) संख्या 11842/2022 (सीडब्ल्यूपी संख्या 6729/2013 से उत्पन्न) और 2023 की एसएलपी (सी) संख्या 3980 से उत्पन्न सिविल अपीलों को एतद् द्वारा अनुमति दी जाती है। सीडब्ल्यूपी संख्या 10452/2014 और 6729/2013 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को निरस्त किया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.....जे.

[एम. आर. शाह]

.....जे.

[सी.टी रविकुमार]

नई दिल्ली

24 फरवरी, 2023

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्येश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।